कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन) हापुड़ ।

पत्रांक 349 / सा0प्र0 / अधि0 / स0सु0 / 2020 दिनांक–23.06.2020

अधिसूचना

चूंकि केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है ।

और जहां उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश संरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोडकर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक 06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है ।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59, 1988) की धारा–112 की उपधारा–(2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गाजियाबाद जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोडकर अन्य मार्गो या मार्गो के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा यातायात निदेशालय के पत्र संख्या–डीटी–812–2019/2741 दिनांक 30.12.2019 में प्रस्तावित गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है:–

क0 सं0	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी के अनुसार निबन्धित कर निर्धारित की गयी गति सीमा (कि0मी0/प्रतिघन्टा)			
			दोपहिया / तिपहिया	चालक सहित 07 सीटों वाले यान (एम–1 प्रवर्ग यान)	चालक सहित 08 से 12 सीटों तक वाले यान (एम–2 और एम–3 प्रवर्ग यान)	समस्त माल यान एवं स्तम्भ 4,5 व 6 को छोडकर अन्य समस्त यात्री यान (सभी एन प्रवर्ग यान)
1	2	3	4	5	6	7
1	हामीरपुर–सिकन्दराबाद–कुचेसर मार्ग (एस0एच0–100)	हामीरपुर–सिकन्दराबाद –कुचेसर मार्ग	40	60	60	50
2	मवाना–किठौर–हापुड़ मार्ग (एस0एच0–118)	मेरठ रोड असौडा से मुजफ्फरा बांगडपुर	40	60	60	50
3	मोदीनगर–हापुड़ मार्ग (एम0डी0आर0–148डब्लू)	सी0एम0ओ0 आफिस से बदनौली	40	60	60	50
4	बुलन्दशहर–गढ़ मार्ग (एम0डी0आर0–117)	बांगडपुर से सदरपुर	40	60	60	50
5	मंसूरी–धौलाना–गुलावठी मार्ग (एम0डी0आर0–155)	पिपलैडा से सिरोधन	40	60	60	50
6	भोजपुर–पिलखुवा–धौलाना मार्ग (ODR)	खेडा से धौलाना	40	60	60	50
7	वेदकुटी–बहादुरगढ–पूठ मार्ग (ODR)	बहादुरगढ़ से पूठ	40	60	60	50

8	कुचेसर चौपला से श्यामपुर किठौर मार्ग (ODR)	बनखन्डा से कोटा	40	60	60	50
9	ब्रजघाट से पलवाडा बहादुरगढ़ मार्ग (ODR)	बलवापुर से पलवाडा–बहादुरगढ़	40	60	60	50
10	पिलखुवा से फगौता मार्ग (ODR)	अचपलगढ़ी से फगौता	40	60	60	50
11	गढ़–मेरठ मार्ग के कि0मी0 2 से झडीना सादुल्लापुर–हिरनपुर होते हुए अक्खापुर मार्ग (ODR)	गढ़–मेरठ मार्ग के कि0मी0 2 से झडीना सादुल्लापुर–हिरनपुर होते हुए अक्खापुर मार्ग	40	60	60	50
12	हापुड़ दोमई से धनौरा वझीलपुर खडखडी असरा मुरादपुर आगापुर मार्ग (ODR)	हापुड़ दोमई से धनौरा वझीलपुर खडखडी असरा मुरादपुर आगापुर मार्ग	40	60	60	50
13	रा.मा.–24 से कि0मी0 56 (आबादी भाग) श्यामपुर मलकपुर होते हुये कनिया कल्याण (ODR)	रा.मा.–24 से कि0मी0 56 (आबादी भाग) श्यामपुर मलकपुर होते हुये कनिया कल्याण	40	60	60	50
14	हापुड़ से भटैल (ODR)	सलाई से भटैल	40	60	60	50
15	अठसैनी ब्रिज से बछलौता ब्रिज (ODR)	अठसैनी ब्रिज से बछलौता ब्रिज	40	60	60	50
16	डिबाई ब्रिज (कनाल पटरी) मेरठ बोर्डर से रजापुर (ODR)	डिबाई ब्रिज (कनाल पटरी) मेरठ बोर्डर से रजापुर	40	60	60	50
17	सपनावत इकलैडी भावा बोर्डर (ODR)	सपनावत इकलैडी भावा बोर्डर	40	60	60	50
18	एम0बी0 मार्ग से गिरधरपुर तुमरैल नान मार्ग (ODR)	एम0बी0 मार्ग से गिरधरपुर तुमरैल नान मार्ग	40	60	60	50
19	रा.मा.–235 से हापुड़ भटियाना से सपनावत मार्ग (ODR)	भटियाना से सपनावत मार्ग	40	60	60	50
20	बछलौता ब्रिज घुघराला ब्रजनाथपुर चीनी मिल होते हुये सपनावत तक मार्ग (ODR)	बछलौता ब्रिज घुघराला ब्रजनाथपुर चीनी मिल होते हुये सपनावत तक मार्ग	40	60	60	50
21.	बी0बी0नगर मार्ग से सिम्भावली रा0मा0–91 वाया हिंगवाडा लालपुर भरना रोड (ODR)	बी0बी0नगर मार्ग से सिम्भावली रा0मा0–91 वाया हिंगवाडा लालपुर भरना रोड	40	60	60	50
22	रा0मा0–24 (नया रा0मा0–9) सिखैडा से पीरनगर दतियाना होते हुये आगापुर वाया माधौपुर औरंगाबाद सम्पर्क मार्ग (ODR)	रा0मा0–24 (नया रा0मा0–9) सिखैडा से पीरनगर दतियाना होते हुये आगापुर वाया माधौपुर औरंगाबाद सम्पर्क मार्ग	40	60	60	50
23	बाबूगढ़–बी0बी0नगर मार्ग से मवाना हापुड़ किठौर वाया कनिया मार्ग (ODR)	बछलौता से काकौडी–नूरपुर तक	40	60	60	50
24	ढाना बक्सर मार्ग (ODR)	ढाना–बक्सर मार्ग	40	60	60	50

गति संबंधित उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रभावी होगाः–

1. मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा–116 में विनिर्दिष्ट साईन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनों छोर–प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा ।
2. उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगाः–

   (अ) अग्निशमन वाहन

   (ब) एम्बुलेंस

   (स) पुलिस वाहन

   (द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन
3. उपरोक्त तालिका के कॉलम–3 में उल्लिखित स्थानों को छोडकर जनपद के सभी मार्गो के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोडकर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा–112 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक 06.04.2018, समय समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी ।

आज्ञा से

23/6/20

(राजेश कुमार श्रीवास्तव)

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

(प्रशासन)/रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,

जनपद हापुड़ ।

<u>पृ0सं0 /अधि0/स0सु0/2020 समदिनांकित</u>

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
3. जिलाधिकारी, हापुड़ ।
4. पुलिस अधीक्षक, हापुड़ ।
5. निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें ।
6. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हापुड़ ।
7. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पूर्वी/पश्चिमी) उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

23/6/20

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

(प्रशासन)/रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,

जनपद हापुड़ ।